


12.01.2024:—पत्रावली पेशी में आई। मूल वाद—पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज चुका है। मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज होने के कारण प्रार्थना—पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

